



दिल्ली विधान सभा सचिवालय

DELHI LEGISLATIVE
ASSEMBLY SECRETARIAT

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति
REPORT OF THE
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILL &
RESOLUTION

ग्यारहवां प्रतिवेदन
(04 अप्रैल, 2002 को सदन में प्रस्तुत)
(Presented on 04 April, 2002)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

दिल्ली विधान सभा

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

(ग्यारहवां प्रतिवेदन)

(04 अप्रैल, 2002 को सदन में प्रस्तुत)

समिति का गठन

1.	चौ० प्रेम सिंह, माननीय अध्यक्ष	सभापति
2.	श्री मंगत राम सिंघल	सदस्य
3.	श्री अरविन्दर सिंह लवली	सदस्य
4.	श्री शादी राम	सदस्य
5.	श्री हरशरण सिंह बल्ली	सदस्य
6.	श्री नन्द किशोर गर्ग	सदस्य
7.	श्री राम सिंह नेताजी	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री एस.के.शर्मा	सचिव
2.	श्री सिद्धार्थ राव	संयुक्त सचिव
3.	श्री जी.सी.मेहता	अवर सचिव

प्रतिवेदन

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति की बैठक दिनांक 3.4.2002 को दोपहर 12.00 बजे माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा के कक्ष में सम्पन्न हुई।

समिति को सूचित किया गया कि निम्नलिखित तीन विधेयक जो पहले से ही पुरःस्थापित किये जा चुके हैं, को विचार के लिये सूचीबद्ध किया जाना है :-

1. दिल्ली गुरुद्वारा संशोधन विधेयक - श्री अरविन्दर सिंह लवली
2. दिल्ली वरिष्ठ नागरिक सम्मान विधेयक - श्री मुकेश शर्मा
3. लोक सेवकों द्वारा परिसम्पत्तियों की घोषणा विधेयक, 2001 - श्री अरविन्दर सिंह लवली

समिति ने निर्णय लिया कि उपरोक्त संख्या 2 एवं 3 विधेयकों को 5.4.2002 को पड़ने वाले शुक्रवार को विचार के लिये सूचीबद्ध किया जाये।

क्रम संख्या-1 पर स्थित विधेयक के बारे में समिति ने मत प्रकट किया कि क्योंकि गुरुद्वारा चुनाव संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है जिसमें गैर सरकारी सदस्य के विधेयक में निहित मुख्य प्रावधान को मान लिया गया है अतः संबंधित मंत्री यदि उचित समझें तो माननीय सदस्य से अपना विधेयक वापस लेने के लिये निवेदन करें।

समिति को सूचित किया गया कि निम्नलिखित दो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की सूचना पिछले सत्र में प्राप्त हुई थी :

- | | |
|---|--|
| 1 दिल्ली लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त दूसरा संशोधन विधेयक, 2001
श्री मुकेश शर्मा | इस विधेयक के मुख्य प्रावधानों को विधि विभाग ने उचित पाया है, अतः समिति ने इस विधेयक को 5.4.2002 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। |
| 1. दिल्ली समितियों एवं स्वरोजगार योजनाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण विधेयक, 2001-श्री मुकेश शर्मा | समिति को सूचित किया गया कि विधान सभा इस विषय में कानून बनाने में सक्षम है अतः समिति ने इस विधेयक को 5.4.2002 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। |

संकल्प

समिति को सूचित किया गया कि सचिवालय को कुल 21 संकल्पों की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें बैलेटिंग में तीन संकल्पों को स्थान प्राप्त हुआ है। समिति ने निर्णय लिया कि इन्हें शुक्रवार, 12 अप्रैल, 2002 को सूचीबद्ध किया जाये और इनके लिये प्रत्येक के समक्ष दर्शाया गया समय आबंटित किया जाये:-

क्र.सं. सदस्य का नाम

संकल्प का पाठ

आवंटित समय

1. श्रीमती किरण चौधरी

यह सदन संकल्प करता है कि महिला शक्ति 30 मिनट उत्थान हेतु समाज में उन्हें सम्मान दिलाने व उनके शोषण पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से सभी शादियों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाये।

2. श्री मोहन सिंह बिष्ट

यह सदन संकल्प करता है कि स्वच्छता 30मिनट एवं सफाई व्यवस्था को उचित रूप देने हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की जाये जो समय-समय पर निरीक्षण करके दिल्ली निवासियों की स्वच्छता एवं सफाई की जरूरतों की देखभाल करे।

3. श्री अरविन्दर सिंह लवली

यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली में 30मिनट स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दृष्टि से आगामी विधान सभा चुनाव फोटो पहचान पत्र के माध्यम से सम्पन्न कराये जायें जिससे चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियों एवं अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके और पहचान पत्र बनाने का कार्य एक वर्ष के अन्दर पूरा किया जाये।

समिति ने श्री नन्द किशोर गर्ग और उनकी अनुपस्थिति में श्री शादी राम को सदन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया।

(चौधरी प्रेम सिंह)

सभापति

दिल्ली,

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों
एवं संकल्पों संबंधी समिति

दिनांक : 04 अप्रैल, 2002

Delhi Legislative Assembly Secretariat

Committee on Private Members Bills And Resolution

Eleventh Report

(Presented on 4th April, 2002)

Constitution of The Committee

1.	Ch. Prem Singh, Hon'ble Speaker	Chairman
2.	Shri Mangat Ram Singhal	Member
3.	Shri Shadi Ram	Member
4.	Shri H.S. Balli	Member
5.	Shri Nand Kishore Garg	Member
6.	Shri Ram Singh Netaji	Member
7.	Shri A.S. Lovely	Member

SECRETARIAT

1.	Shri S.K. Sharma	Secretary
2.	Shri Siddharath Rao	Joint Secretary
3.	Shri G.C. Mehta	Under Secretary

REPORT

The Committee on Private Member's Bills and Resolutions was held in the Chamber of Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly on 3rd April, 2002 at 12.00 (Noon).

The Committee was informed that following 3 Private Member Bills which have already been introduced are required to be listed for consideration:-

1. Delhi Sikh Gurudwara (Amendment) Bill, 2001 – Shri Arvinder Singh Lovely
2. Delhi Senior Citizens Honour Bill, 2001 – Shri Mukesh Sharma
3. The Declaration of Assets by Government Servant Bill, 2001 – Shri Arvinder Singh Lovely.

The Committee decided that Bill No.2 & 3 be listed for Friday 5-4-2002.

As regards Bill at Sr. No. 1, the Committee decided that since a Government Bill reducing the voting age from 21 to 18 in Gurdwara Elections has already been passed by the Assembly and assented to by President, and it contains the main provision in Shri Lovely's Bill, hence Hon'ble member be requested to withdraw the same.

The Committee was informed that the notices of following two Private Member Bills were received in the last session and these can be considered for introduction.

1	The Delhi Lokayukta and Upalokayukta (Second Amendment) Bill, 2001 (Shri Mukesh Sharma)	Main provision of this Bill have been found to be in order by the Law Deptt. The Committee decided to list the Bill for introduction on 5.4.2002
2.	The Delhi Reservation for other Backward Classes in Committees and Self- Employment Schemes Bill, 2001 (Shri Mukesh Sharma)	Since the Legislative Assembly is competent to enact a law on the subject, therefore, the Committee decided to allow introduction of this Bill

Contd..2..

RESOLUTION

The Committee was informed that in all the Secretariat had received Notices of 21 Resolutions. However, the following three have found place in balloting. The Committee decided to list the same on Friday 12th April, 2002 and allotted time as shown against each:-

S.No.	Name of the Member	Text of Resolution	Time Allotted
1	Smt. Kiran Choudhry	This House resolves that registration of all marriages be made compulsory with a view to empowering women, according them proper respect in society and protecting their exploitation.	30 Minute
2	Shri Mohan Singh Bisht	This House resolves that for purposes of making proper cleanliness system a high powered committee be constituted which may carry out inspections from time to time to protect the health of people of Delhi.	30 Minute
3	Shri Arvinder Singh Lovely	This House resolves that with a view to ensure free and fair poll, the next Assembly elections in Delhi may be held on the basis of photo-identity card so that malpractices and irregularities in the poll process are done away with and the process of preparation of identity card be completed within a year.	30 Minute

The Committee authorized Shri Nand Kishore Garg and in his absence Shri Shadi Ram to present the Report of the Committee to the House.


(CH. PREM SINGH)
CHAIRMAN

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER
BILLS AND RESOLUTIONS

DELHI

4th April, 2002